संख्या– ५५५/नौ–7–20

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ : दिनांक :27अप्रैल, 2020

विषयः कोविड–19 के अवांछित प्रसार को नियन्त्रित करने के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व नगरीय निकायों का है। वर्तमान में सम्पूर्ण देश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण के अवांछित प्रसार पर नियंत्रण पाने के लिये लॉक–डाउन लागू किया गया है। प्राप्त ऑकडों से यह स्पष्ट है कि नोवेल–कोरोना वायरस से संक्रमित अधिकांश हॉट–स्पाट क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में हैं। उक्त के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का नगरीय निकायों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नगरीय निकायों में पेयजल के मुख्य स्रोतों पर गहन निगरानी रखते हुये स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त इस तथ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाय कि ग्रीष्म ऋतु के कारण पेयजल की उपलब्धता में कोई कठिनाई न हो।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
विशेष सचिव।